झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, रॉंची

पत्र सं0– 02. त0शि0/योजना–40/2016 /रॉंची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, रॉंची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकीय पोलिटेकनिक, बुण्डू के चाहरदीवारी निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू0 2,16,54,100/– (रू0 दो करोड़ सोलह लाख चौवन हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

झारखण्ड राज्य अन्तर्गत रॉंची जिला में राजकीय पोलिटेकनिक, बुण्डू के निमित रॉंची जिला के अंचल–बुण्डू, मौजा–बुरूडीह, थाना नं0–09 के अन्तर्गत खाता नं0–64, प्लाट नं0–04, कुल रकवा–13 एकड़ गैर मजरूआ खास परती कदीम भूमि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित है। उक्त हस्तांतरित भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा सुरक्षा की दृष्टि से चाहरदीवारी निर्माण किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन प्राप्त किया गया है। राजकीय पोलिटेकनिक, बुण्डू में चाहरदीवारी, प्रवेश द्वार एवं गार्ड रूम निमाण कार्य हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक 3243(नि0) दिनाक 11.12.2025 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित (Estimate No. 796/T.A/H.E./JSBCCL/2025-26, Page No. 337 दिनाक 10.12.2025) प्राक्कलन समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

Sl.No.	Particulars	Amount
1	Main Entrance Gate with Guard Room	7,73,424.00
2	Boundary Wall+600MM Fencing – 1500 MTR x 7 MTR HT.	1,63,87,780.00
	Total Cost	1,71,61,204.00
	Add 18% for GST on (A)	30,89,017.00
	Total Amount with GST	2,02,50,221.00
	Add 1% for Labour Cess on	2,02,502.00
	Agency Charges for JSBCCL @7%	12,01,284.00
	Grand Total	2,16,54,007.00
	Say	**2,16,54,100.00**
	(रू0 दो करोड़ सोलह लाख चौवन हजार एक सौ) मात्र	

अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, बुण्डू के लिए चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य के लिए कुल रू0 2,16,54,100/– (रू0 दो करोड़ सोलह लाख चौवन हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार–(Sub Scheme Head –01–राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण–जीर्णोद्धार)–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–ईकाई–45–निर्माण कार्य से की जायेगी।

विपत्र कोड – 43S42020210506010545

(ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लधु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार –(Sub Scheme Head –01–राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पॉलिटेकनिक संस्थान, तकनीकी शिक्षा हब एवं अन्य आधारभूत संरचना का निर्माण–जीर्णोद्धार)–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–ईकाई–45–निर्माण कार्य से की जायेगी।

विपत्र कोड – 43S42020279606010545

3. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
4. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यमें से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 06 (छः) माह होगी तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक माह के अन्दर हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण करा ली जायगी।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त कार्य पूर्ण कराते हुए कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
8. कार्य की प्रगति का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण निदेशक, तकनीकी शिक्षा के द्वारा की जायगी।
9. विषयांकित कार्य हेतु राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026–27 एवं 2027–28 में की जायेगी।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–40/2016 /राँची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/योजना–40/2016/31/योजना /राँची, दिनांकः– 19-02-2026

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/उपायुक्त, राँची/अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अवर सचिव–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.2.26
सरकार के प्रधान सचिव